10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2014 पुनरीक्षण R 3493 – III/14

रामसखा पटेल पुत्र मोतीलाल पटेल
निवासी ग्राम इचौल तहसील उचेहरा
जिला सतना (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1. समयलाल चौधरी पुत्र नारायण प्रसाद
2. नारायण चौधरी पुत्र इसूरी चौधरी
3. दयाराम चौधरी पुत्र नारायण प्रसाद चौधरी
   समस्त निवासीगण ग्राम इचौल तहसील उपचेहरा जिला सतना (म.प्र.)
4. म.प्र. शासन द्वारा पटवारी हल्का बड़खुरा तहसील उचेहरा जिला सतना

...... अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल उचेहरा तहसील उचेहरा जिला सतना द्वारा प्र.कं. 49ए–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 17.7.14 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है थ्क –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3493-तीन/2014 जिला - सतना

रामसखा विरूद्ध समयलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-06-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल उचेहरा तहसील उचेहरा के प्रकरण क्रमांक 49/ए-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 17-07-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 12-09-2019 को कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	